न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2017-00279RAABarmer2017-159RTA223 Mohani ors Vs Ramken etc

01. मोहनी पत्नि मोहनलाल
02. सोमी पत्नि रूगनाथराम
03. कमला पत्नि गोरखाराम

जाति विश्नोई निवासी मौखाब खुर्द तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. रामकेन पुत्र प्रतापा के कायम मुकामः–
   1.1. मोहनलाल पुत्र रामकेन
   1.2. रूगनाथ पुत्र पुत्र रामकेन
   1.3. गोरखा पुत्र रामकेन

   जातियान विश्नोई निवासी मौखाब खुर्द
2. गोकला पुत्र माना जाति माली
3. पूनमा पुत्र निम्बा के कायम मुकामः–
   3.1. भंवरा पुत्र पूनमा
   3.2. रमकू पत्नि पूनमा जाति माली
4. भोमा पुत्र निम्बा जाति माली
5. प्रैलाद पुत्र निम्बा के कायम मुकामः–
   5.1. जोगा पुत्र पैलाद
   5.2. सती पत्नी पैलाद
   5.3. मेघा पुत्र पैलाद जाति माली

   निवासी मौखाब खुर्द तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
6. धापू पत्नी अर्जुनराम जाति जाट निवासी मौखाब खुर्द तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
7. कानाराम पुत्र लुम्बाराम
8. हरजी पुत्र कानाराम
9. डूंगरा पुत्र कानाराम

   जाति जाट निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।
10. तहसीलदार गुडामालानी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 अक्टूबर 2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी राजस्व मूल वाद संख्या 370/2004 कानाराम व अन्य बनाम रामकेन इत्यादि

उपस्थित–

श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री महेन्द्र कुमार रामावत, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01
श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1/1 से 1/3, 3/2, 04, 08, 09
श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3/1

–:नि र्ण य:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक : 18 मार्च 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 370/2004 अनवान कानाराम व अन्य बनाम रामकेन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 अक्टूबर 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 16.10.2017 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 7 से 9 (वादीगण) द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजीयात मौजा मौखाब खुर्द तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 246 रकबा 77.18 बीघा के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2009 को उतरदाता संख्या 7 से 9 का वाद स्वीकार कर उतरदाता संख्या 7 से 9 के वादग्रस्त आराजीयात में निहित रकबा 24 बीघा अलग कर बंटवाडा किये जाने का आदेश पारित कर दिया। तत्पश्चात उतरदाता संख्या 2 गोकला द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.2009 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष अपील पेश की गई जो स्वीकार की जाकर रिमाण्ड की गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण को संस्थित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.10.2017 को वादीगण का वाद पुनः स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि क्रेता पुखराज पुत्र अचलदास द्वारा वादग्रस्त आराजीयात वर्ष 1973 में तत्कालीन खातेदार अमरा पुत्र रूपा उसके नाम दर्ज वादग्रस्त खसरे सहित अन्य 5–6 खसरों में उसके हिस्से की भूमि में से रकबा 24 बीघा भूमि प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की जाकर मौके पर भौति कब्जा प्राप्त किया गया है। बाद में पुखराज पुत्र अचलदास ने अपनी खरीदसुदा भूमि 24 बीघा का बेचान दिनांक 14.09.1990 को उतरदाता संख्या 7 से 9 (वादीगण) से 30200/– रूपये नकद प्राप्त कर दिया तथा मौके पर उनको काबिज कर दिया। वादीगण का वक्त खरीद से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिस पर वादीगण (उतरदाता संख्या 7 से 9) ने अपनी खरीदसुदा 24 बीघा भूमि का बंटवाडा का वाद प्रस्तुत किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 191 दिनांक 27.09.2010 के जरिये वादीगण (उतरदाता संख्या 7 से 9) की भूमि के नये खसरा नबर 246/2 रकबा 24 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते हुऐ अलग से तरमीम की गई जो आज दिन तक इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में चली आ रही है। तत्पश्चात वादीगण (उतरदाता संख्या 7 से 9) ने अपनी खरीदसुदा भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 246/2 रकबा 24 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 11.07.2017 को अपीलान्टगण से प्रतिफल राशि रूपये 6,25,000/– रूपये नकद प्राप्त कर, कर दिया, जिस पंजीबद्ध विक्रय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्र के आधार पर दिनांक 20.07.2017 को नामान्तरकरण संख्या 396 स्वीकृत कर वादीगण (उतरदाता संख्या 7 से 9) के स्थान पर अपीलान्टगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा अद्यतन राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना पुराने रेकर्ड के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना था। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार न कर उतरदाता संख्या 2 गोकला के प्रतिदावा को विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकार किया गया है तथा विभाजन के वाद में अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की स्थिति के बारे में किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव तलब नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही आनन फानन में आलोच्य निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात में पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से पूर्व न तो अपीलान्टगण को कोई सूचना दी गई तथा न ही अपीलान्टगण को पक्षकार बनाया गया है। कानूनन एक रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये बिना ही व उचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार होने से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 370/2004 अनवान कानाराम व अन्य बनाम रामकेन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 अक्टूबर 2017 को अपास्त किया जावे एवं अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने एवं मामाले के विधिनुसार निस्तारण किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि खातेदार अमरा पुत्र रूपा द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में निहित अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया गया है जो कानूनन विधिसम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी गोकला की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम एवं तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नहीं थे तथा उनके द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात खरीद की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 11.07.2017 के जरिये वादग्रस्त आराजीयात के सद्भाविक क्रेता एवं रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने प्रकट होते है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण दोनो द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन की इस्तदुआ चाही है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में विधिनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के बजाय सीधे ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर वाद का निस्तारण कर दिया गया है, जिसे कतई विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

वस्तुतः अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार पाये जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा गुणावगुण पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 370/2004 अनवान कानाराम व अन्य बनाम रामकेन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 अक्टूबर 2017 खारिज किये जाते है तथा मामला विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए अपीलांट्स को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर